न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
**जमानत आवेदन संख्या-274/2025**
(गोगरी थाना काण्ड संख्या 190/2025)
अनुज यादव - बनाम- बिहार सरकार

उपस्थित : शैलेन्द्र कुमार-2,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

**28.03.2026**

1. आवेदक/अभियुक्त **अनुज यादव** जो गोगरी थाना काण्ड संख्या 190/2025, धारा 191(2),126(2),115(2),109,303(2), 74,352 बी0एन0एस0 के अंतर्गत दिनांक 09.03,2026 से कारा अभिरक्षा में है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार श्रीवास्तव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री भाषानन्द प्रसाद को सुना। काण्ड दैनिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया कि आवेदक का ए0बी0ए0 नम्बर 1043/25 विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं क्रिम0 मिस नम्बर 88758/25 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अस्वीकृत हुआ है तथा उसके पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल क्रिम0 एल0(एस) नं0 2839/26 नोट इन्टरटेन कहकर खारिज कर दिया गया है तथा उसके पश्चात् कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लंबित है। आवेदक दिनांक 09.03.2026 को स्वयं आत्मसमर्पण किया है और तब से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक का दो केस गोगरी थाना काण्ड संख्या 359/21 एवं 461/21 है। प्राथमिकी से आरोपित धारा का केस आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक जान मारने के नियत से कोई ज़ख्म कारित नहीं किया है। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं तथा सूचिका के परिवार के सदस्यों के द्वारा ही आवेदक पक्ष के लोगों को मारपीट कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया गया है जिसके लिये गोगरी थाना काण्ड संख्या 194/2025 दर्ज कराया गया है तथा दबाव बनाने के लिये यह वाद लाया गया है। उभय पक्षों के बीच रास्ता को लेकर विवाद है। उक्त संबंध में आवेदक की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी, पुलिस उपाधीक्षक गोगरी, जिला पदाधिकारी खगड़िया एवं पुलिस अधीक्षक खगड़िया को आवेदन दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच पंचायती भी हुआ है जिसका फैसला को मानते हुये दोनों पक्षों द्वारा पाँच सौ रूपये में स्टाम्प पर बने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर किये हैं। अन्य सह-अभियुक्त मनोज यादव, संतोष यादव, टुनटुन यादव का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 88758/25 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्वीकृत किया गया

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
**जमानत आवेदन संख्या–274/2025**
(गोगरी थाना काण्ड संख्या 190/2025)
अनुज यादव – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : शैलेन्द्र कुमार–2,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

**<u>लगातार,पेज–2</u>**
**28.03.2026**

है। आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन का सम्पूर्ण कहानी झूठा एवं बनावटी है तथा गोगरी थाना काण्ड संख्या 194/25 है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना किया गया।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.07.2025 की रात्री 10.30 बजे सूचिका के घर में घुसकर 1. मनोज यादव, 2.अनुज यादव दोनों पे0 अयोधी यादव, 3. संतोष यादव पे0 स्व0 चमकलाल यादव, 4. टुनटुन यादव पे0 स्व0 कमोद यादव, 5. लालु यादव पे0 चन्द्रमणी यादव, 6. सुमित कुमार पिता मनोज यादव सभी साकिनान राटन, थाना गोगरी, जिला खगड़िया एवं कुछ अज्ञात व्यक्ति के साथ जम जुटकर आये एवं गाली–गलौज करते हुये अनुज यादव ने थ्रीनट से दो फायर किया एवं सभी रंगदारी देने का हल्ला किया तथा लालु यादव, टुनटुन यादव, अनुज यादव लोहे के रड एवं लाठी, डंडा से मारपीट करने लगा एवं सुमित यादव ने सूचिका के हाथ से सोने की अंगूठी एवं कनवाली छीन लिया जिससे वह जख्मी हो गयी, संतोष यादव बक्सा से 60,000/–रूपया निकाल लिया। सूचिका की बहन का पुत्र भोनु कुमार हल्ला किया तो भोनु के सर पर लोहे के रड से अनुज यादव मारा जिससे उसे गम्भीर चोट लगी एवं पुत्र संजीत कुमार को भी घेरकर सबने मारपीट किया।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरुद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्री में सूचिका के घर में घुसकर गोली फायर कर रंगदारी की मांग करने एवं लोहे के रड, लाठी, डंडा से मारपीट करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी में गवाहों ने उभय पक्षों के बीच मारपीट होना बताया है। कंडिका 34 में जख्मी अनिता देवी एवं कंडिका 38 में जख्मी भोनू कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें जख्मों को कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित होना बताया गया है। उभय पक्ष पड़ोसी हैं तथा दोनों के बीच रास्ता का विवाद

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
**जमानत आवेदन संख्या–274/2025**
(गोगरी थाना काण्ड संख्या 190/2025)
अनुज यादव – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : शैलेन्द्र कुमार–2,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

**लगातार,पेज–3**
**28.03.2026**

है एवं वाद एवं पलटा वाद दर्ज है। आवेदक की ओर से भी सूचिका पक्ष के विरूद्ध गोगरी थाना काण्ड संख्या 194/2025 दर्ज कराया गया है। अन्य सह–अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अग्रिम जमानत दिया गया है तथा आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्पेशल लीभ टू अपील (कि0) नं0 2839/26 को नॉट इन्टरटेन कहकर खारिज किया गया है। आवेदक दिनांक 09.03.2026 को स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और तब से कारा अभिरक्षा में है।

6. उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों, वाद एवं पलटा वाद दर्ज होने तथा आवेदक के कारा अवधि को देखते हुये आवेदक के जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो जमानतदार द्वारा बंधपत्र दाखिल करने एवं विद्वान संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। **आवेदक पुनः ऐसी घटना नहीं करेगा।**

(लेखापित एवं शुद्धित)
Shailendra Kumar
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।